

न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :- 160/2017 (RCMS No.- 2017/00221)

उनवानी प्रकरण :-

राजेन्द्र पुत्र राजकुमार जाति ठाकुर निवासी बौरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर

————— अपीलान्ट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर ————— रेस्पोंडेण्ट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 06.09.2017  
तहसीलदार बसेडी प्र.सं. 18/2017 उनवानी  
राज0 सरकार बनाम राजेन्द्र अंतर्गत धारा  
75 भू-राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :-

1. अपीलान्ट की ओर से :- श्री हरिवीर सिंह अभिभाषक।
2. रेस्पोंडेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :-30.01.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 06.09.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि:-

1. पटवारी हल्का बौरेली द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम बौरेली की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 744, 745 रकवा 0.88 किस्म गै0मु0ताल पर सम्वत् 2074 में फसल खरीफ काशत कर अपीलान्ट ने अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी को बिना सुने प्रार्थी पर 572 रूपये का जुर्माना एवं बेदखल करने हेतु थाना बसेडी को परवाना जारी किया है जो गलत है एवं काबिल खारिजी है।
2. वर्तमान आराजी खसरा नम्बरान 742, 743, 744, 745 गत खसरा नम्बर 1394 तत्काल किस्म कछार का आवन्तन अति0 जिला कलक्टर धौलपुर के द्वारा किस्म परिवर्तन करके शिवचरन पुत्र माखन रकवा 3 बीघा, रामजीलाल पुत्र माखन रकवा 03 बीघा, निरोतीलाल पुत्र रामसरन रकवा 3 बीघा दिनांक 30.10.1976 को आवन्तन की थी एवं भीकमसिंह पुत्र वसन्तसिंह को खसरा नम्बर 1394 में से रकवा 20 बीघा भूमि एक्सचेंज में मिली थी क्योंकि पूर्व में बन्दोवस्त से पहले उक्त

(शुचि त्यागी)  
जिला कलक्टर  
धौलपुर



- खसरा नम्बरान की भूमि की किस्म कछार थी इस वजह से कुल 22 लोगों के नाम दिनांक 30.10.1976 को आवंटन कर दिया।
3. आवंटन के बाद उक्त सभी लोगों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिया गया उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में विभिन्न नामान्तरकरणों से गैरखातेदार/खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन से शिवचरन, रामजीलाल, निरोती एवं भीकमसिंह अपने अपने रकवे पर काबिज होकर वहाँसियत खातेदार काश्त करते रहे हैं।
  4. भीकमसिंह पुत्र बसन्तसिंह ने अपने रकवा 2 बीघा को अपनी घरू आवश्यकता एवं अन्य कार्यों के लिए जरिये इकरारनामा दिनांक 16.09.1993 को अपीलान्ट के पिता राजकुमार एवं साहब सिंह को विक्रय कर दिया तब से भीकमसिंह की 10 बीघा आराजी पर राजकुमार के चारों पुत्र राधेश्याम, नरेन्द्रसिंह, सीताराम, राजेन्द्र सिंह काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।
  5. शिवचरन एवं रामजीलाल पुत्रगण माखन, निरोतीलाल पुत्र रामसरन के वारिश्मान ने अपनी आराजी को अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के भाईयों को दो वर्ष से बटाई पर काश्त करने के लिए दे रखा है। आराजी पर अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के भाई उनकी सहमति से काश्त कर रहे हैं।
  6. तहसीलदार बसेडी ने अपीलान्ट की खड़ी फसल को जे.सी.बी. से जुतबा कर नष्ट कर दिया।
  7. अपीलान्ट ने जानकारी की तो जानकारी हुई कि उक्त आवंटन दिनांक 30.10.1976 को निरस्त करने के लिए शंकरलाल नाम के व्यक्ति ने नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे न्यायालय ने दिनांक 28.09.1989 को खारिज कर दिया तथा आवंटन बहाल रखे। न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.09.1989 के विरुद्ध शंकरलाल ने न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में अपील कर दी जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए दिनांक 07.02.1991 को इस न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिये और भूमि को गै.मु. ताल दर्ज करने के आदेश कर दिये जिसके आधार पर आवंटियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाते हुए भूमि राज० सरकार के नाम गै०मु०ताल दर्ज कर दी। उक्त आदेश का प्रभाव अपीलान्ट के पिता द्वारा खरीदी गई भूमि पर भी हुआ और अपीलान्ट के काबिज काश्त की भूमि गै.मु. ताल दर्ज हो गई।
  8. माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 07.02.1991 के विरुद्ध आवंटियों ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील कर दी जिसे राजस्व मण्डल अजमेर ने स्वीकार करते हुए दिनांक 29.05.1997 को माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा इस न्यायालय का आदेश दिनांक 28.09.1989 को बहाल रखा। जिसके तहत आवंटन बहाल रखे गये।
  9. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरुद्ध सरकार ने एक सिविल रिट संख्या 5535/2000 माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर में दायर कर दी तथा एक रिट संख्या 1528/2001 शंकरलाल ने प्रस्तुत की दोनों रिट पिटीशन

(शुचि त्वागी)  
जिला कलक्टर  
धौलपुर



- दिनांक 27.10.2014 एवं 08.08.2014 को खारिज हो चुकी है। विवादित खसरा नम्बर पर अब कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है।
10. दर्शन सिंह ने इस न्यायालय में धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पूर्व के इन्द्राज को बहाल करने के लिए प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट संख्या 5535/2000 के निर्णय होने तक स्थगित रखने का आदेश पारित किया।
  11. माननीय उच्च न्यायालय से रिट संख्या 5535/2000 दिनांक 27.10.2014 को खारिज हो चुकी है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.08.2007 की पालना होना बाकी है भूमि सरकारी नहीं होकर आवंटियों की खातेदारी की भूमि है। जिसमें तहसीलदार को 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है।
  12. पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी बताया है जबकि उक्त खसरा नम्बर सरकारी भूमि है ही नहीं उक्त भूमि पर अपीलान्ट बटाई एवं क्रेता के रूप में काश्त कर रहा है जिसका उसे पूर्ण अधिकार है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य एवं साक्ष्य के अभाव में निर्णय पारित किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काबिल खारिजी है।
  13. अपीलान्ट समाज में एक इज्जतदार व्यक्ति है एवं उसका भाई सरपंच रह चुका है। आज भी गांव की भलाई के लिए प्रार्थी तत्पर एवं तैयार रहता है। अपीलान्ट को तहसीलदार बसेडी के निर्णय की जानकारी पुलिस से हुई तो नकल हेतु दिनांक 09.10.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो 10.10.2017 को प्राप्त हुई। दिनांक 14.10.2017 को अपीलान्ट के भतीजे की पत्नि गैस सिलेण्डर दुर्घटना में जल गई जिसके इलाज में सारा परिवार विभिन्न हॉस्पिटलो में व्यस्त रहा उसके पश्चात् दिनांक 05.11.2017 को इलाज के दौरान उसका देहान्त हो गया उसके सोक में सारा परिवार एवं अपीलान्ट काफी दिनों तक घर से बाहर नहीं गये। पुनः सी.ओ. के द्वारा सूचना देने पर बिना देरी अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बसेडी का निर्णय दिनांक 06.09.2017 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि मौका रिपोर्ट दिनांक 14.01.2017, आदेश दिनांक 06.09.17 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा फोटो स्टेट अलोटमेंट लेटर दिनांक 30.10.1976 वाके ग्राम बौरेली, फोटो स्टेट जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039, फोटो स्टेट संविदा पत्र दिनांक 16.09.1993 राजकुमार पुत्र रामभरोसी, फोटो स्टेट निर्णय दिनांक 07.02.1991 न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर, फोटो स्टेट जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053, फोटो स्टेट राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निर्णय दिनांक 29.05.1997, फोटो स्टेट निर्णय

(शुचि त्पागी)  
जिला कलक्टर  
धौलपुर



दिनांक 21.08.2007 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर, निर्णय दिनांक 22.07.2014 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर की फोटो स्टेट प्रति एवं फोटो स्टेट प्रति निर्णय दिनांक 31.01.2017 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर की प्रति पेश की तथा मुन्ना पुत्र शिवचरन जाति वैश्य निवासी बौरैली तहसील बसेडी, भगवानदास पुत्र रामजीलाल जाति वैश्य निवासी बौरैली तहसील बसेडी एवं राजेन्द्र पुत्र निरोती लाल जाति वैश्य निवासी बौरैली तहसील बसेडी के शपथ पत्र पेश किये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश करते हुए मौखिक बहस में कथन किया कि :-

1. खसरा नम्बर 1394 रकवा 62 वीघा 3 विस्वा जिसके साबिक खसरा नम्बर किस्म कछार वाके ग्राम बौरैली तहसील बसेडी थे जिसे बन्दोवस्त विभाग ने गै.मु. ताल दर्ज कर दिया गया।
2. खसरा नम्बर 1394 रकवा 62 वीघा 3 विस्वा ग्यासीराम वगौरा 14 व्यक्तियों के नाम 42 वीघा का आवन्टन दिनांक 27.10.1976 को किया गया तथा मौके पर कब्जा दिया गया।
3. दिनांक 14.07.1970 को जिला कलेक्टर भरतपुर के द्वारा आदेश क्रमांक 1212 (22)रेवेन्यू/70/4910 आदेश तहसीलदार बसेडी दिनांक 21.07.1970 द्वारा भीकमसिंह पुत्र बसन्तसिंह को 20 बीघा भूमि एक्सचेंज में दी गई। जिसके आधार पर भीकमसिंह के नाम नामान्तरण संख्या 320 खोला गया। तथा भीकमसिंह को जमाबन्दी में गैर खातेदार दर्ज किया गया।
4. दिनांक 16.03.1993 को भीकमसिंह ने अपीलान्ट के पिता राजकुमार एवं साहबसिंह को 90,000/- नब्बे हजार रुपये में उक्त आराजी विक्रय कर दी जिसका संबिदा पत्र लिखा गया जो प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें एडवांस 53000/- रुपये दे दिये गये हैं जिसके आधार पर अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज है एवं आवन्टी शिवचरन पुत्र माखन, रामजीलाल पुत्र माखन, निरोतीलाल पुत्र रामसरन के वारिशान ने अपनी आराजी को अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के भाईयो को बटाई पर काश्त करने के लिए दो वर्ष से दे रखा है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट उनकी सहमति से काश्त कर रहे हैं।
5. शंकरलाल नाम के व्यक्ति ने नियम 14(4) की कार्यवाही दिनांक 27.10.1976 के आवन्टन के विरुद्ध की जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.1989 को निरस्त कर दिया। जिसके विरुद्ध आर.ए.ए. के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर मात्र 6 आवन्टियों के आवन्टन निरस्त कर दिये तथा भूमि को गै.मु. ताल दर्ज करने के आदेश दिये।
6. आर.ए.ए. के निर्णय की पालना में मात्र 6 आवन्टियों के आवन्टन निरस्त करने चाहिए थे लेकिन उनके साथ भीकमसिंह के इन्द्राज को आदेश दिनांक 14.07.1970 के आधार पर किये गये उन्हे भी हटा दिया गया जिसे हटाने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं था। समस्त इन्द्राजात इन्तकाल नं. 1228 के तहत निरस्त किये गये।

(शुचि त्वाणी)  
जिला कलक्टर  
धौलपुर



7. माननीय न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर के निर्णय के विरुद्ध अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में हुई जिसे स्वीकार करते हुए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने माननीय न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर के निर्णय दिनांक 29.05.1997 को निरस्त कर दिया।
8. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना के लिए इस न्यायालय में धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 23.10.2007 को स्वीकार कर पालना रिट संख्या 5535/2000 के निर्णय तक स्थगित रखी गई।
9. माननीय उच्च न्यायालय खण्ड खण्डपीठ जयपुर में रिट संख्या 5535/2000 दिनांक 27.10.2014 को खारिज हो चुकी है। अतः निर्णय दिनांक 27.10.2007 की पालना होना शेष है।
10. तहसीलदार बसेडी ने एक रेफरेंस उपरोक्त समस्त कार्यवाही के पश्चात् न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय ने दिनांक 31.01.2017 को निरस्त कर दिया है।
11. तहसीलदार बसेडी के संज्ञान में होते हुए कि रिट संख्या 5535/2000 खारिज हो चुकी है तो न्यायालय श्रीमानजी के आदेश दिनांक 27.10.2007 की पालना करनी चाहिए थी ऐसा नहीं करके तहसीलदार बसेडी ने न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है। मात्र राजनीतिक द्वेष के कारण तहसीलदार ने राजनैतिक दबाव में आदेश की अवहेलना की है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1394 रकवा 62 वीघा 3 विस्वा वाके ग्राम बौरेली तहसील बसेडी के जो नये खसरा नम्बर दिये गये हैं वो सरकारी भूमि नहीं होकर आवन्तियों की भूमि है। जिस पर तहसीलदार बसेडी को 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है।
12. वकील अपीलान्ट ने आर.आर.डी. 2002 पेज संख्या 583 की नजीर पेश की जिसमें प्रतिपादित है कि " Constitution of India, Art. 226- Alternative remedy- writ petition challenging the order passed by dy. Collector and mutation proceedings holding the petitioner-appellant to be trespasser on the land- Ex- parte interim order was passed and after hearing both the sides, Interim order was not only confirmed but petitioner was given liberty to restore demolished construction- petition pending for 12 year- hled, single judge was not justified in dismissing the petition solely on the ground of availability of alternative remedyat this distance of time.

उन्होंने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.09.2017 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

रैस्पोंडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है। अपीलान्ट को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का के बयान से होती है। अतिक्रमित भूमि की किस्म गै0मु0 ताल है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। उक्त भूमि पर किसी को न तो कोई अधिकार प्राप्त हो सकते हैं और ना ही इसका आवंटन किया जा सकता है।

(शुचि त्पागी)  
जिला कलेक्टर  
धौलपुर



अपीलान्ट के द्वारा उपरोक्त भूमि को संविदा पत्र के आधार पर लिया जाना बताया गया है जबकि संविदाकर्ता को भूमि को बिना किसी अधिकार के भूमि को संविदा पर देने का कोई अधिकार नहीं है। भूमि पर अपीलान्ट की हैसियत एक अतिकमी की है। गै0मु0 ताल की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण के विरुद्ध तहसीलदार बसेडी द्वारा की गई कार्यवाही में कोई त्रुटि नहीं है उन्होने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अनुसार अपीलाधीन आदेश में वर्णित आराजी की किस्म गै0मु0 ताल अंकित है और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 3 व 4 में अंकित किया है कि श्री भीकमसिंह के द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 16.9.1993 को राजकुमार एवं साहबसिंह को विक्रय कर दिया तब से राजकुमार के चारो पुत्र राधेश्याम, नरेन्द्रसिंह, सीताराम, राजेन्द्रसिंह काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। शिवचरन पुत्र माखन, रामजीलाल पुत्र माखन, निरोतीलाल पुत्र रामसरन के वारिसान ने अपनी आराजी को अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के भाईयों को बटाई पर दो वर्ष के लिए दे रखा है। इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से श्री मुन्ना पुत्र शिवचरन, भगवानदास पुत्र रामजीलाल, राजेन्द्र पुत्र निरोतीलाल के प्रस्तुत शपत्र पत्रों में उपरोक्त भूमि को उनके द्वारा विगत 2 वर्षों से बटाई पर अपीलान्ट को दिया जाना अंकित किया गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को विवादित भूमि का कोई आवंटन आदि नहीं हुआ है उसके द्वारा गै0मु0 ताल की भूमि को बटाई पर लिया गया है जबकि श्री मुन्ना पुत्र शिवचरन, भगवानदास पुत्र रामजीलाल, राजेन्द्र पुत्र निरोतीलाल को विवादित भूमि में कोई अधिकार हॉसिल नहीं हुये थे और न ही उन्हें विवादित भूमि को बटाई पर देने का कोई अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार अपीलान्ट की स्थिति विवादित भूमि में एक अतिकमी की है और अतिकमी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखल किये जाने हेतु पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति सहित तहसीलदार बसेडी को वापिस भिजवाई जावे। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनिधि रक्षामी)  
जिला कलेक्टर, घाज़ीपुर  
घाज़ीपुर